अध्याय–VI
मुद्रांक पेपरों की प्राप्ति, विक्रय तथा लेखांकन
परिचय
मुद्रांकों की प्राप्ति
गैर–न्यायिक तथा विशेष एडहेसिव मुद्रांकों का कोषालयों में भारी भण्डार शेष
गैर–न्यायिक मुद्रांकों की चोरी
एडहेसिव मुद्रांकों पर “राजस्थान या राज” शब्द का अंकन नही करना
कोषालयों का निरीक्षण

अध्याय–VI

मुद्रांक पेपरों की प्राप्ति, विक्रय तथा लेखांकन

6. परिचय

मुद्रांकों की प्राप्ति, संग्रहण, निर्गमन एवं उनका उपयोग राजस्थान कोषालय नियम (आर टी आर) 1999 एवं राजस्थान मुद्रांक नियम, 2004 के अन्तर्गत विनियमित होता है।

अतिरिक्त महानिरीक्षक मुख्यालय पर मुद्रांकों का पदेन अधीक्षक होता है। राज्य में स्थित 34 कोषालय[1] मुद्रांकों की प्राप्ति, संग्रहण, विकय एवं निर्गमन का कार्य करते है। मुद्रांक कर के संग्रहण की पूरी प्रकिया, जिसमें पूर्वानुमान, मांग, प्राप्ति, संग्रहण, विकय तथा लेखा जोखा शामिल है, का नियंत्रण महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के द्वारा किया जाता है।

अजमेर कोषालय को वर्ष 1999 में नासिक एवं हैदराबाद स्थित मुद्रणालयों से राजस्थान राज्य में मुद्रांकों की प्राप्ति, अभिरक्षा एवं निर्गमन के लिए नोडल बिन्दु नामांकित किया गया था।

मुद्रांकों की प्राप्ति

6.1 मांग–पत्र

राजस्थान ट्रेजरी मैन्यूअल, 1952 के नियम 240 के अनुसार वर्ष 2004 से प्रत्येक कोषालय को अंकित मूल्यानुसार अर्द्धवार्षिक मांग–पत्र 31 दिसम्बर एवं 30 जून को निर्धारित प्रपत्र में मुद्रांकों के स्टॉक को प्रतिस्थापित करने के लिए महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक को

हमने देखा कि चार कोषालयों यथा भरतपुर, बीकानेर, करौली एवं उदयपुर ने वर्ष 2007–08 से वर्ष 2010–11 के दौरान निर्धारित सूचना नहीं भिजवायी जबकि शेष कोषालयों ने निर्धारित प्रपत्र में सूचना नियमित रूप से नहीं भिजवायी।

सरकार को सभी कोषालयों के द्वारा निर्धारित प्रपत्र में मांग–पत्र समय से भिजवाये जाने हेतु ठोस अनुपालना हेतु विचार करना चाहिए।

[1]अजमेर, अलवर, बांसवाडा, बांरा, बाड़मेर, ब्यावर, भरतपुर, बीकानेर, भीलवाडा, बूंदी, चित्तोड़गढ, चुरू, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, गंगानगर, हनुमानगढ, जयपुर, जैसलमेर, जालौर, झालावाड, झुझुंनु, जोधपुर करौली, कोटा, नागौर, पाली, प्रतापगढ, राजसमंद, सवाईमाधोपुर, सीकर, सिरोही, टोंक एवं उदयपुर।

6.2 प्राप्तियाँ

रा.को.नि., 1999 के नियम 304 के अनुसार डिपो से मुद्रांकों की आपूर्ति प्राप्त होने पर डिपो का प्रभारी अधिकारी अर्थात कोषाधिकारी अतिशीघ्र पैकेट की बाहरी जांच करेगा एवं सन्तुष्टि करेगा कि वे क्षतिग्रस्त नहीं है। तत्पश्चात् वह अपनी उपस्थिति में उस सामान को खुलवायेगा और सामग्री की गणना या तो वह स्वयं या उसके द्वारा अधिकृत कर्मचारी उसकी उपस्थिति में करेगा। तत्पश्चात् नम्बरो या अन्य रूप में भिन्नता या कमी, यदि कोई हो, तो उसकी एक रिपोर्ट अतिशीघ्र महानिरीक्षक को पेश करेगा और उसकी एक प्रति निदेशक, कोष एवं लेखा को भेजेगा।

इसके पश्चात रा.को.नि. के नियम 305 के अनुसार महानिरीक्षक प्रत्येक डिपो को दो प्रतियों में बीजक भेजेगा, जिसमे आपूर्ति किये गये मुद्रांकों के नम्बर, मात्रा और अंकित मूल्य का उल्लेख होगा। बीजक की मूल प्रति कोष कार्यालय अपने पास रखेगा और प्रभारी अधिकारी के नाते द्वितीय प्रति

अजमेर कोषालय केन्द्रीय आपूर्ति भण्डार, नासिक से अन्य कोषालयों को वितरण हेतु मुद्रांक प्राप्त करता है। हमने यह पाया कि बिना भौतिक गणना किये ही ये मुद्रांक अन्य कोषालयों को भेज दिये गये। परिणामस्वरूप नोडल बिन्दु बनाने का प्रयास विफल रहा। इसके परिणामस्वरूप वर्ष 2007-08 से 2008-09 के दौरान राशि ₹ 11.75 लाख के मुद्रांक दो कोषालयों (अलवर एवं श्री गंगानगर) में कम प्राप्त किये गये। मुद्रांकों की कम प्राप्ति को तीन वर्ष से छः वर्ष की देरी से सूचित किया गया। इस कमी को 15 दिवस के अन्दर सूचित नहीं करने के कारण के.मु.डि., नासिक के द्वारा इस कमी को स्वीकार नहीं किया गया।

हमने इसे (दिसम्बर 2011) महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक को सूचित किया लेकिन प्रत्युत्तर प्रतीक्षित (जनवरी 2011) रहा।

6.3 गैर-न्यायिक एवं विशेष ऐडेसिव मुद्रांकों का कोषालयों में भारी भण्डार शेष

6.3.1 वार्षिक अनुमान

रा.को.नि. 1999 के नियम 300 (1) एवं (2) के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक मूल्य वर्ग के मुद्रांक की आवश्यकता की सूचना, गत तीन वर्षो में प्रत्येक के वास्तविक निर्गम, एक अप्रैल को हस्तशेष एवं चालू वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित निर्गम के महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक द्वारा नियत समय पर मुद्रांको की आपूर्ति का नियमन किये जाने के कम में, प्रत्येक कोषाधिकारी द्वारा उप कोषालयों की संपूर्ण वर्ष की संभावित आवश्यकताओं को सुनिश्चित करने के पश्चात् आवश्यकतानुसार आई.जी. को प्रत्येक वर्ष 30 नवम्बर को निर्धारित प्रारूप में वार्षिक अनुमान भेजना होता है।

यह ध्यान में आया कि राज्य में कार्यरत 34 कोषालयों में से किसी ने भी वर्ष 2006-07 से 2010-11 के दौरान वार्षिक अनुमान कभी भी निर्धारित प्रारूप में नहीं भेजा। इस सूचना के अभाव में भण्डार की प्राप्ति के लिये केन्द्रीय मुद्रांक डिपो (के.मु.डि.), नासिक को महानिरीक्षक के द्वारा मांग पत्र प्रस्तुत करने का आधार लेखा परीक्षा द्वारा सुनिश्चित नहीं हो सका। इसके परिणामस्वरूप डिपो से प्राप्त हुये गैर-न्यायिक/एडहेसिव मुद्रांक कोषालयो में निम्नानुसार अनुपयोगी पडे़ रहे:-

6.3.2 गैर-न्यायिक मुद्रांक

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	कोषालयों की संख्या	वर्ष	दिनांक को शेष	स्टाम्पों का मूल्य	वर्ष के दौरान प्राप्ति
1	34	2006-07	31.03.07	937.20	189.20
2	34	2007-08	31.03.08	639.67	107.00
3	34	2008-09	31.03.09	2104.23	1825.10
4	34	2009-10	31.03.10	1802.83	35.40
5	34	2010-11	31.03.11	1596.05[2]	420.20
योग				7079.98	2576.90

[2] कोषालय बांसवाड़ा तथा बीकानेर का अधिशेष महानिरीक्षक कार्यालय में उपलब्ध नहीं थे।

हमनें देखा कि प्रत्येक वर्ष कोषालयों के पास मुद्रांकों की भारी मात्रा मौजूद होने के बावजूद वर्ष 2006-07 से वर्ष 2010-11 के दौरान राशि ₹ 2,576.90 करोड़ के मुद्रांक के.मु.डि. नासिक से और प्राप्त किये गये ।

6.3.3. विशेष एडहेसिव मुद्रांक

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	कोषालयो की संख्या	वर्ष	दिनांक को शेष	मुद्रांकों का मूल्य	वर्ष के दौरान प्राप्त किए गए
1	34	2006-07	31.3.07	835.65	08.71
2	34	2007-08	31.3.08	761.81	10.08
3	34	2008-09	31.3.09	594.39	10.24
4	34	2009-10	31.3.10	526.98	31.00
5	34	2010-11	31.3.11	456.00	32.80
योग				3,174.83	92.83

राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 28 अगस्त 1984 के अनुसार समान मूल्य वर्ग के विशेष एडहेसिव मुद्रांकों पर हरी स्याही से गैर-न्यायिक अंकित कर उन्हे एडहेसिव गैर-न्यायिक मुद्रांक के रूप में उपयोग की अनुमति दी गई है। राज्य सरकार के निर्देशों के बावजूद 31 मार्च 2011 को राशि ₹ 456 करोड़ के विशेष एडहेसिव मुद्रांक उपयोग नहीं किये जा सके एवं राशि ₹ 92.83 करोड़ के मुद्रांकों की अतिरिक्त मात्रा वर्ष 2006-07 से 2010-11 के दौरान के. मु. डि. नासिक से प्राप्त की गयी ।

सरकार को कोषालयों में अनुपयोगी पड़े गैर-न्यायिक मुद्राकों के उपयोग के बारे में तुरन्त कदम उठाने चाहिए।

6.4 गैर-न्यायिक मुद्रांकों की चोरी

महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, अजमेर के अभिलेखों की जांच (दिसंबर 2011) में पाया गया कि 22 जुलाई 2009 को उप कोषालय, उनियारा जिला-टोंक से राशि ₹ 7.00 लाख के गैर-न्यायिक मुद्रांक चोरी हो गये, जिनका विवरण निम्न प्रकार से है:-

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	चोरी गये मुद्रांकों की मात्रा एवं विवरण	मुद्रांकों का अंकित मूल्य	मुद्रांकों का मूल्य

1	200 न. ए-983301 से 983500	₹ 1000	2,00,000
2	100 न. 634901 से 635000	₹ 5000	5,00,000
योग			7,00,000

हालाँकि 29 महीने व्यतीत होने के बाद भी चोरी के लिये ना तो किसी कर्मचारी की जिम्मेदारी तय की गयी और ना ही विभाग के द्वारा उक्त राजस्व हानि के अपलेखन की कार्यवाही की गयी ।

6.5 एडहेसिव मुद्रांकों पर ''राजस्थान या राज'' शब्द का अंकन नहीं करना

रा.मु.नि., 2004 के नियम 4 (2) के अनुसार बिना छपे या एडहेसिव मुद्रांक, जिस पर ''राजस्थान या राज'' शब्द अंकित नहीं है, किसी भी विलेख पर मुद्रांक भुगतान के रूप में इस नियम के लागू होने (11 जून 2004) के बाद उपयोग

हमने पाया कि रा.मु.नि., 2004 के नियम 4(2) के प्रतिकूल महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग ने वर्ष 2006-07 से 2010-11 के बीच राशि ₹ 92.83 करोड़ के विशेष एडहेसिव मुद्रांक के.मु.डि. नासिक से मंगवाये, जिन पर ''राजस्थान या राज'' शब्द अंकित नहीं था।

विशेष एडहेसिव मुद्रांकों को अन्य राज्यो से प्राप्त कर उनके दुरूपयोग की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

हमने महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक को इस बाबत् अवगत (दिसम्बर 2011) कराया, प्रत्युत्तर प्रतीक्षित (जनवरी 2012) था।

6.6 कोषालयों का निरीक्षण

विभाग को स्टाम्पों की पर्याप्त मांग, प्राप्ति एवं मुद्रांकों के निर्गमन पर कोषालयों के नियमित निरीक्षण के द्वारा नजदीकी निगाह रखनी चाहिए थी, जो अपर्याप्त थी।

हमने देखा कि अतिरिक्त महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के द्वारा प्रत्येक कोषालय के वार्षिक निरीक्षण के विरूद्ध राज्य में मुद्रांकों का लेन-देन करने वाले सभी 34 कोषालयों के विरूद्ध प्रत्येक वर्ष में तीन से 13 कोषालयों का ही निरीक्षण किया गया। वर्ष 2010-11 को समाप्त होने वाले पांच वर्षो के दौरान कमी का प्रतिशत 62 से 91 के मध्य रहा, जिसका विवरण नीचे दर्शाया गया है:-

वर्ष	वांछित निरीक्षण	किये गये निरीक्षण	कमी का प्रतिशत
2006-07	34	03	91

2007-08	34	13	62
2008-09	34	04	88
2009-10	34	06	82
2010-11	34	05	85

हमने जब इस बारे में महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग को अवगत कराया (दिसम्बर 2011) तो कमी के कारणों से लेखा-परीक्षा को अवगत नहीं कराया गया (जनवरी 2012)।

सिफारिशें

- सरकार को उचित मापदण्डो के द्वारा कोषालयो में मुद्रांकों की वास्तविक आवश्यकता के बारे मे विचार करना चाहिए।
- सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि केन्द्रीय कोषालय द्वारा डिपो से प्राप्त मुद्रांकों की तुरन्त भौतिक गणना की जानी चाहिए एवं यदि कोई भिन्नता और कमी पायी जाती है तो, प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर डिपो को अवगत कराया जाना चाहिए।
- सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बिना मुद्रित या एडहेसिव मुद्रांक, जिस पर ''राजस्थान या राज'' शब्द अंकित न हो, का राजस्थान राज्य में उपयोग न हो।